निर्णय बईजलास श्री के.आर. चौहान (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ

प्र0सं0 325/2016/प्रा.पत्र/ निर्णय दिनांक :- 27/12/2017

अनवान

1. श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नि पूनमसिंह रावत निवासी मियालाखेड़ा तहसील देवगढ़

———प्रार्थीया

बनाम

1. श्री प्रेमसिंह मुतबना केशरसिंह रावत निवासी मियाला तहसील देवगढ़
2. श्री मांगीलाल पिता रूपालाल सालवी निवासी मियाला तहसील देवगढ़
3. श्री भेरसिंह पिता रामसिंह रावत निवासी मियाला तहसील देवगढ़
4. श्री अर्जुनसिंह पिता भेरसिंह रावत निवासी मियाला तहसील देवगढ़

———प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र–अन्तर्गत धारा 111 व 128 आरटीए

प्रार्थीया का प्रा.पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम मियाला पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ में प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे की भूमि स्थित है जिसको खा.नं. 119/21 ख.नं. 1898/1 रकबा 0.05 बिस्वा 0.07 बिस्वा कुल किता 3. रकबा 0.18 बिस्वा है। प्रार्थीया ने उक्त वर्णित आराजियात की अब तक पत्थरगढ़ी नही करवायी है। विपक्षी सं. 1 व 2 की भूमिया प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि से मिलती हुई है जिससे हमेशा सीमा संबंधी मौके पर विवाद रहता है। विपक्षी सं. 3 व 4 से प्रार्थीया का सीमा संबंधी कोई विवाद नही है पड़ौसी होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। विपक्षी सं. 1 व 2 हमेशा प्रार्थीया की फसल, घास वगैरह काट लेतें है। इस समस्या का स्थाई समाधान पत्थरगढ़ी कराने से ही हो सकता है अतः प्रार्थीया का प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की उक्त वर्णित खातेदारी एवं कब्जे की भूमि को पत्थरगढ़ी कराने के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीया का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रा. पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री छोगालाल कलाल ने वकालतनामा पेश किया ता जवाब हेतु समय की मांग की जिस पर समय दिया गया। प्रविवादी सं. 2 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब पेश करने की अण्डरटेकिंग ली। वकील विपक्षी को जवाब एवं वकालतनामा पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये लेकिन वकील विपक्षी ने जवाब एवं विपक्षी सं. 2 की ओर से वकालतनामा पेश नही किया जिस पर वकील विपक्षी का जवाब बंद

सहायक कलेक्टर

किया गया। वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की भूमि आपस में मिलती हुई है। विपक्षीगण कभी प्रार्थीया की भूमि में प्रवेश कर हाक लेते है कभी फसल घास वगैरह काट लेते है जिससे मौके पर अशान्ति बनी रहती है तथा प्रर्थीया को अनावश्यक मुकदमेबाजी करनी पड़ती है। प्रार्थीया की उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा–हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रर्थीया उसकी उक्त वर्णित भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर सकेगी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की उक्त खातेदारी एवं कब्जे की भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश प्रदान कराये जावे।

हमने प्रार्थीया के प्रा.पत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। ग्राम मियाला की जमाबंदी की नकल सं. 2071 से 2074 में प्रार्थीया उक्त भूमि का खातेदार है। कोई भी खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है। अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है तथा उसका खातेदारी भूमि को ग्राम मियाला पटवार हल्का मियाला में स्थित हो खा. नं. 119/21 ख.नं. 1898/1 रकबा 0.05 बिस्वा ख.नं. 1898/1 रकबा 0.05 बिस्वा ख.नं. 1898/2 रकबा 0.06 बिस्वा ख.नं. 1895/1 रकबा 0.07 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 0.18 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा कौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द